(16)

छत्तीसगढ़ शासन
संस्थागत वित्त संचालनालय
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/143/सं.वि.सं./ईएपी/2005 रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2005

//आदेश//

बाह्य सहायता कार्यक्रमों के समन्वय ( Coordination) की जिम्मेदारी संस्थागत वित्त संचालनालय की है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा बाह्य सहायता कार्यक्रमों (External Aided Programme) का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा बाह्य सहायता प्राप्त किये जाने के संबंध में नवीन प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की स्वीकृति/क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश/मार्गदर्शन एतद् द्वारा जारी किये जा रहे हैं। निम्नानुसार जारी किये जा रहे निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जायेः–

1. समस्त विभागों द्वारा उनके विभाग से संबंधित ऐसे समस्त कार्यक्रमों का आंकलन किया जाये जिनके लिये घरेलू या बाह्य सहायता की आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों का विवरण प्रपत्र "द" में यथाशीघ्र संस्थागत वित्त संचालनालय को प्रेषित किया जाये तथा इसके पश्चात् प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् उक्त विवरण को अद्यतन किया जाये।
2. जब कभी किसी विभाग को भारत सरकार से सीधे या राज्य शासन के माध्यम से बाह्य सहायता प्राप्त योजना (ई.ए.पी.) के अन्तर्गत कोई नया प्रोजेक्ट प्राप्त होता है तब विभाग इस संबंध में तत्काल संस्थागत वित्त संचालनालय को सूचित करें। जहां तक संभव हो बाह्य सहायता कायक्रमों की राशि ऋण के रूप में प्राप्त न की जाकर (ग्रांट) अनुदान के रूप में स्वीकृत करवाने के प्रयास किये जायें।
3. राज्य स्तरीय वाह्य सहायता कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव, छ.ग. शासन है। संबंधित विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रम के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने के पूर्व उस पर राज्य स्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा इस हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में विभाग द्वारा एक संक्षिप्त विवरण (Concept Note) तैयार किया जाये एवं संबंधित विभाग के माननीय् मंत्रीजी के अनुमोदन पश्चात् इसे संस्थागत वित्त संचालनालय, मंत्रालय रायपुर को प्रेषित किया जाये। कन्सेप्ट नोट विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् उसे एक माह के भीतर (SLC) राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जायेगा।
4. परियोजना के प्रारंभिक स्तर से अंतिम स्तर तक वित्तीय मामलों के संबंध में संबंधित विभाग को संस्थागत वित्त संचालनालय की सहमति ली जानी आवश्यक होगी।
5. ऋण/अनुदान प्राप्त करने के संबंध में विभाग ऋणदाता (Donor) से सीधे किसी प्रकार का कोई "निगोशियेशन" नहीं करेगा, इसके लिये विभाग को संस्थागत वित्त संचालनालय की सलाह प्राप्त की जा कर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस प्रकार के

--2--

17



प्रोजेक्ट के संबंध में होने वाली प्रत्येक बैठक में संस्थागत वित्त का प्रतिनिधि अनिवार्यतः सम्मिलित हों।

6. संबंधित विभाग को ऋणदाता से प्राप्त होने वाले ऋण के संबंध में (Fund flow ) चार्ट तैयार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किस–किस स्टेज पर कितना–कितना ऋण/अनुदान प्राप्त होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार या राज्य शासन को "कमीटमेंट चार्जेस" का भुगतान नहीं करना पड़े।
7. विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, इस प्रकार की परियोजना/कार्यक्रम के लिये जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हें यथासंभव प्रोजेक्ट की पूर्णता तक स्थानांतरित नहीं किया जाये। ( यदि किसी विशेष अथवा आकस्मिक परिस्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो इस पर पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाये।)
8. विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम के संबंध में (PD) "प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट" समय–सीमा में गठित कर लें, क्योंकि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का यह मानना है कि "लोन निगोशियेशन" के छः माह पूर्व तक "पी.डी." का गठन एवं आवश्यक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) "लोन नेगोशियेशन" नहीं करेगा। अतः विभाग को विभिन्न क्रय (Procurement), परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं से अच्छी तरह परिचित हो ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विलंब न हो। भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 7/2/2004/एफ,बिल दिनांक 23 दिसंबर 04 के द्वारा अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग पी.डी. का गठन करने के पश्चात् प्रशिक्षण के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक पहल कर सकते हैं।
9. "प्रोजेक्ट" प्रारंभ होने के पश्चात् संबंधित विभाग को प्रत्येक त्रैमास के अंत में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को प्रगति प्रतिवेदन भेजना होगा तथा इसकी एक–एक प्रति वित्त विभाग एवं संस्थागत वित्त संचालनालय को पृष्ठांकित करनी होगी। इस हेतु विभाग को चाहिये कि वह निर्धारित प्रारूप में ही जानकारी उपलब्ध करवायें। बाह्य सहायता प्राप्त की जाने वाली परियोजना की समीक्षा त्रैमासिक रूप से इस हेतु गठित (EAP Review Committee) समिति द्वारा की जायेगी।
10. ऋणदाता एवं सलाहकार के सहयोग से प्रोजेक्ट के संबंध में कार्य करने हेतु विभाग को कुछ " Core Officers" नियत करने होंगे। इस हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे अधिकारियों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। ये अधिकारी "नोडल आफिसर" के रूप में संस्थागत वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। इन नोडल अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक आदि का विवरण इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह में संस्थागत वित्त संचालनालय को भेजना होगा।
11. यदि इस प्रकार के प्रोजेक्ट हेतु कोई "इम्प्रेस्ट राशि" विभाग द्वारा रखी जाती है तो वह नियमानुसार किसी वाणिज्यिक बैंक में चालू खाते में (ब्याज रहित) रखी जायेगी।

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

व्या.प्र.